FINANCIAL EXPRESS
17-06-2017

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Dist. Udham Singh Nagar, (Uttarakhand)
Phone: +91 5947-269000/269500/275320
Fax: +91 5947-275315/269535
E-Mail: compliance.officer@indiaglycols.com
Website: www.indiaglycols.com
CIN: L24111UR1983PLC009097

NOTICE TO MEMBERS

[For Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)]

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the applicable provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years, to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority) in the prescribed manner.

In compliance with the said Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority for taking appropriate actions. Full details of such shareholders including their names, folio numbers and DP ID - Client ID and the number of shares etc. due for transfer to demat account of IEPF Authority has been uploaded on Company's website www.indiaglycols.com (web-link: http://www.indiaglycols.com/investors/investor_index.htm).

Members who have not claimed their dividends for the year 2009-10 onwards are requested to claim their unpaid dividend on or before September 20, 2017 (as dividend for the year 2008-09 has already been transferred to IEPF Account). In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before the above date or such other date as may be extended, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, proceed to transfer the shares to the demat account of IEPF Authority without any further notice in compliance with and as per the procedure set out in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

However, the concerned shareholders can claim back the unclaimed dividend(s) transferred to IEPF and the shares transferred to the demat account of IEPF Authority including all benefits, if any, accruing on such shares from IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules. Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in.

For further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company Secretary at its Head office at Plot no. 2B, Sector-126, Noida-201304, District Gautam Budh Nagar, U.P. (e-mail: compliance.officer@indiaglycols.com) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020 (e-mail: admin@mcsregistrars.com).

For India Glycols Limited
Sd/-
Ankur Jain
Company Secretary

Place: Noida
Date : 16.06.2017

इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, (उत्तराखण्ड)
दूरभाष: +91 5947-269000/269500/275320;
फैक्स: +91 5947-275315/269535
ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com
वेबसाइट: www.indiaglycols.com
सीआईएन: L24111UR1983PLC009097

सदस्यों को सूचना

{विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण}

कम्पनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और, वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के लागू प्रावधानों सहित वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियम (''नियम'') के अनुसरण में, कम्पनी को निरंतर 7 (सात) वर्षों से लाभांश का दावा न किए गए शेयरों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में अंतरण करना आवश्यक है।

कथित नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर उचित कार्रवाई करने के लिए सूचना भेज दी है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के पात्र हैं। शेयरधारकों का नाम, फोलियो नं. और डीपी आईडी - क्लाइंट आईडी तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या के साथ ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com (वेब लिंक http://www.indiaglycols.com/investors/investor_index.htm) पर अपलोड किया गया है।

जिन सदस्यों ने 2009-10 तथा उसके बाद के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, उन्हें अनुरोध किया जाता है कि वह अपने अदत्त लाभांश का दावा 20 सितम्बर, 2017 तक या उससे पूर्व कर लें (वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश पहले ही आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया है।) यदि कम्पनी के पास उपरोक्त तिथि या विस्तारित कोई अन्य तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी आगे बिना कोई सूचना दिए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। कथित नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश(शों) और शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

तथापि, संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश(शों) और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन और नियमों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास वापसी का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विवरणों का भी अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय में आगे किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी सचिव को कम्पनी के प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 2बी, सैक्टर-126, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com) को या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 (ई-मेल: admin@mcsregistrars.com) को लिख सकते हैं।

कृते इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड
हस्ता./-
अंकुर जैन
कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 16.06.2017